न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– आर. के. जायसवाल, आई.ए.एस.,जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा नम्बर :– 29/2021 (जी सी एम एस नम्बर 2021/29)

उनवानी प्रकरण :–

महावीर प्रसाद त्यागी पुत्र जानकी प्रसाद जाति त्यागी निवासी ग्राम कनासिल तहसील सैपऊ जिला धौलपुर ---------- ------------------**अपीलान्ट**

बनाम्

तहसीलदार सैपऊ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर ------------**रेस्पोडेण्ट**

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. रा. अधिनियम विरूद्व नामान्तकरण संख्या 346 दिनांक 03.05.1986 बॉके ग्राम कनासिल तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

उपस्थिति :–

अपीलान्ट की ओर से :– श्री योगेश कुमार शर्मा

रेस्पोडेण्ट की ओर से :– श्री गोपाल नारायण शर्मा राज. अभि0।

निर्णय **दिनांक : 28.06.2021**

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा इन तथ्यों के साथ पेश की गई है कि अपीलान्ट महावीर प्रसाद त्यागी के पक्ष में आराजी खसरा नम्बर 487मिन रकवा 01 बीधा का आवंटन दिनांक 03.05.1986 को विधिवत रूप से किया गया था जिसका वर्तमान में खसरा नम्बर 1212/487 रकवा हैक्टेयर है तथा उक्त आंवटन के अनुशरण में अपीलान्ट के पक्ष में रैस्पो0 संख्या–1 द्वारा नामान्तकरण संख्या 346 में अपीलान्ट का नाम महावीर प्रसाद त्यागी के स्थान पर महावीरसिंह अंकित कर दिया गया है। अपीलान्ट अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 346 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की है कि अपीलान्ट के पक्ष में अपीलाधीन विवादित आराजी का आवंटन महावीर प्रसाद त्यागी के नाम से किया गया था।

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

आवंटन प्रमाण पत्र भी महावीर प्रसाद त्यागी के नाम से सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी किया गया था तथा अपीलान्ट ने प्रीमीयम राशि भी महावीर प्रसाद त्यागी के नाम से जमा की थी तथा अपीलान्ट का राशन कार्ड, आधार कार्ड,मतदान परिचय पत्र भी महावीर प्रसाद त्यागी के नाम से है तथा अपीलान्ट का वास्तविक नाम भी महावीर प्रसाद त्यागी ही है लेकिन रैस्पोडेन्ट ने आवंटन आदेश एवं आवटंन प्रमाणपत्र को समुचित रूप से अवलोकन किये बिना अपीलाधीन नामान्तकरण में सदभावी लिपीकीय त्रुटिवश अपीलान्ट का नाम महावीर प्रसाद त्यागी के स्थान पर महावीर सिंह अंकित कर दिया जो कि तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश में हुई उक्त सदभावी लिपीकीय त्रुटि का ज्ञान अपीलान्ट को अर्सा करीब 15 दिवस पूर्व कृषि ऋण हेतु नकल जमाबन्दी लेने पर सर्वप्रथम हुआ तथा अपीलान्ट ज्ञान से अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर रहा है जिसको न्यायहित में अन्दर अवधि शुमार किया जाना आवश्यक है तथा प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम पृथक से प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 346 बॉके ग्राम कनासिल आदेश तहसीलदार सैपऊ दिनांक 03.05.1986 निरस्त फरमाया जाकर पत्रावली तहसीलदार सैपऊ को नामान्तकरण आदेश, महावीर सिंह के स्थान पर महावीर प्रसाद त्यागी के पक्ष में स्वीकार करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने की प्रार्थना की है।

अपीलान्ट ने अपील के समर्थन में दस्जावेजी साक्ष्य के रूप में छायाप्रति आवंटन प्रमाण पत्र तारीखी 3.5.1986,नकल नामान्तकरण संख्या 346 बॉके ग्राम कनासिंल सम्बत 2045–48, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 245 ग्राम कनासिल सम्बत 2045 से 2048, छायाप्रति जमाबन्दी खाता संख्या 206 ग्राम कनासिंल, छायाप्रति जमाबन्दी खाता संख्या 235 ग्राम कनासिल सम्बत 2069–72 एवं फोटोप्रति आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशनकार्ड पेश किये है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री गोपाल नारायन शर्मा उपस्थित हुये। पत्रावली वहस हेतु नियत की गई।

सर्वप्रथम म्याद के बिन्दु पर दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषक को सुना गया । अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि उक्त सदभावी लिपीकीय त्रुटि का ज्ञान अपीलान्ट को अर्सा करीब 15 दिवस पूर्व कृषि ऋण हेतु नकल जमाबन्दी लेने पर सर्वप्रथम हुआ । *जानकारी दिनांक से अपील अन्दर म्याद पेश की गई है। रैस्पोडेन्ट के अभिभाषक का कथन है कि अपील अपीलान्ट म्याद बाहर पेश की गई है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपील अपीलान्ट अन्दर म्याद मानी जाती है।*

बहस अन्तिम विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी वहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया

कि अपीलान्ट के पक्ष में विवादित आराजी का आवंटन महावीर प्रसाद त्यागी के नाम से किया गया था। आवंटन प्रमाण पत्र भी महावीर प्रसाद त्यागी के नाम से सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी किया गया था तथा अपीलान्ट ने प्रीमीयम राशि भी महावीर प्रसाद त्यागी के नाम से जमा की थी तथा अपीलान्ट का राशन कार्ड, आधार कार्ड,मतदान परिचय पत्र भी महावीर प्रसाद त्यागी के नाम से है तथा अपीलान्ट का वास्तविक नाम भी महावीर प्रसाद त्यागी ही है लेकिन रैस्पोडेन्ट ने आवंटन आदेश एवं आवटंन प्रमाणपत्र को समुचित रूप से अवलोकन किये बिना अपीलाधीन नामान्तकरण में सदभावी लिपीकीय त्रुटिवश अपीलान्ट का नाम महावीर प्रसाद त्यागी के स्थान पर महावीर सिंह अंकित कर दिया जो कि तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे।

रेस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित राजकीय अभिभाषक ने अपनी वहस के दौरान कहा कि अगर नामान्तकरण में अपीलान्ट के नाम का गलत अंकन हो गया है तो ऐसे नामान्तकरण को तहसीलदार को जॉच हेतु रिमाण्ड किया जा सकता है। अपील में अपीलान्ट के कथनों को स्वीकार किया तथा अपील को स्वीकार किये जाने में उन्होने कोई आपत्ति जाहिर नहीं की।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की प्रस्तुत वहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अधोपान्त अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध आवंटन प्रमाण पत्र एवं आवटित भूमि पर कब्जा देने के सम्बध में उप खण्ड अधिकारी धौलपुर द्वारा जारी आदेश से यह स्पष्ट जाहिर होता है कि अपीलान्ट के पक्ष में अपीलाधीन विवादित आराजी का आवंटन महावीर प्रसाद त्यागी के नाम से किया गया था। आवंटन प्रमाण पत्र भी महावीर प्रसाद त्यागी के नाम से सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी किया गया है तथा अपीलान्ट ने प्रीमीयम राशि भी महावीर प्रसाद त्यागी के नाम से जमा की गई है तथा अपीलान्ट का राशन कार्ड, आधार कार्ड,मतदान परिचय पत्र भी महावीर प्रसाद त्यागी के नाम से है तथा अपीलान्ट का वास्तविक नाम भी महावीर प्रसाद त्यागी ही है लेकिन रैस्पोडेन्ट ने आवंटन आदेश एवं आवटंन प्रमाणपत्र को समुचित रूप से अवलोकन किये बिना अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 346 दिनांक 03.05.1986 में सदभावी लिपीकीय त्रुटिवश अपीलान्ट का नाम महावीर प्रसाद त्यागी के स्थान पर महावीर सिंह अंकित कर दिया जो कि तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। इसप्रकार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से अपीलान्ट के कथनों की पुष्टि होती है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि अपील, अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 346 बॉके ग्राम कनासिल आदेश तहसीलदार सैपऊ दिनांक 03.05.1986 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार सैपऊ को नामान्तकरण आदेश, महावीर सिंह के स्थान पर महावीर प्रसाद त्यागी के पक्ष में स्वीकार करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार

की जाकर नम्बर से कम की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सैपऊ को भिजवाई जावे। वाद तकमील पत्रावली दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आर. के. जायसवाल)
जिला कलक्टर धौलपुर